न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 297 सन 2018

अनवान :—

1. सन्दीप सहारण पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र मनफुलराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
2. नितु पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 09.07.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 4/4 की कूल 5.5640हैक भूमि तथा खाता संख्या 11/12 के खसरा न0 610/7 की 1.4230हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुलराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके चारों पुत्रों पर ओद हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज हुई है इसलिये वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुलराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों /पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, के

पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एव आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोंनडी के खाता संख्या 4/4 की कुल 5.564है व खाता संख्या 11/12 की कुल 1.4230हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official